बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एवं उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार के पत्र सं0- 1-2/2007-BP.III दिनांक 10.10.2014 के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्रत्येक माह में खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण के लिए निम्नवत् फूड कैलेन्डर अगले आदेश तक के लिए जारी किया जाता है :–

पणन पदाधिकारी /प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेतावार खाद्यान्न का उपावंटन किया जाना	अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा खाद्यान्न का उपावंटन किया जाना/ अनुमोदित किया जाना	अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा उपावंटित / अनुमोदित खाद्यान्न उपावंटन के अनुसार पणन पदाधिकारी/ प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेतावार ऑनलाईन Approved किया जाना	पणन पदाधिकारी /प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा ऑन लाईन Approved किये गये उपावंटन के अनुसार जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा ऑन लाईन चालान निकाल कर राज्य खाद्य निगम के बैंक खाता में खाद्यान्न का मूल्य जमा किया जाना	राज्य खाद्य निगम द्वारा उपावंटित खाद्यान्न के विरूद्व जमा राशि के अनुसार खाद्यान्न आपूर्ति हेतु भंडार निर्गमादेश (S.I.O) निर्गत करना	राज्य खाद्य निगम द्वारा भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न का विमुक्ति आदेश (R.O) क्रय करना	भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से राज्य खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्न का उठाव करना	राज्य खाद्य निगम द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के दुकान पर भंडारण निर्गमादेश (S.I.O) के अनुसार खाद्यान्न का डोर स्टेप डिलेवरी करना	जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा लाभूकों को खाद्यान्न का वितरण करना	खाद्यान्न उत्सव मनाया जाना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
प्रत्येक माह के 5वीं तारीख तक अगले माह का खाद्यान्न का उपावंटन किया जाएगा।	प्रत्येक माह के 7वीं तारीख तक अगले माह का खाद्यान्न का उपावंटन / अनुमोदित किया जाएगा।	प्रत्येक माह के 10वीं तारीख तक अगले माह का खाद्यान्न उपावंटन को ऑन लाईन Approved किया जाएगा ।	प्रत्येक माह के 20वीं0 तारीख तक अगले माह के खाद्यान्न उपावंटन के विरूद्व मूल्य जमा किया जाएगा।	प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में अगले माह के लिए भंडार निर्गमादेश जारी किया जाएगा ।	विमुक्ति आदेश (R.O) प्रत्येक माह के 10वीं तारीख तक अगले माह के लिए क्रय किया जाएगा।	प्रत्येक माह के अंतिम तिथि तक अगले माह का खाद्यान्न का उठाव किया जाएगा।	राज्य खाद्य निगम उचित मूल्य के दुकान तक खाद्यान्न का डोर स्टेप डिलेवरी वर्तमान माह के 1ली तारीख से 20वीं तारीख तक किया जाएगा ।	उचित मूल्य के दुकान के विक्रेताओं द्वारा उपभोक्ताओ को खाद्यान्न का वितरण 1लीं तारीख से 25वीं तारीख तक किया जाएगा।	प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में. खाद्यान्न उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें छूटे हुए उपभोक्ताओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा

2. खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण के विभिन्न चरण में विभिन्न पदाधिकारियों/जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा अनुपालन का दायित्व निम्नवत् निर्धारित किया जाता है:–

क्र0	कार्यक्रम	अनुपालन का दायित्व
1.	पणन पदाधिकारी /प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेतावार खाद्यान्न का उपावंटन किया जाना।	अनुमंडल पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ।
2.	अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा खाद्यान्न का उपावंटन किया जाना /अनुमोदित किया जाना।	अनुमंडल पदाधिकारी ।
3.	अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा उपावंटित /अनुमोदित खाद्यान्न उपावंटन के अनुसार पणन पदाधिकारी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेतावार ऑनलाईन उपावंटन को Approved किया जाना ।	अनुमंडल पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ।
4.	पणन पदाधिकारी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा ऑन लाईन Approved किये गये उपावंटन के अनुसार जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा ऑन लाईन चालान निकाल कर राज्य खाद्य निगम के बैंक खाता में खाद्यान्न का मूल्य जमा किया जाना ।	अनुमंडल पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/जन वितरण प्रणाली विक्रेता ।

	खाद्य निगम द्वारा उपावंटित खाद्यान्न के विरूद्ध जमा राशि अनुसार खाद्यान्न आपूर्ति हेतु भंडार निर्गमादेश (S.I.O) निर्गत करना ।	जिला आपूर्ति पदाधिकारी/जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम ।
	राज्य खाद्य निगम द्वारा भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न का विमुक्ति आदेश (R.O) क्रय करना ।	जिला आपूर्ति पदाधिकारी/जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम।
7.	भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से राज्य खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्न उठाव करना ।	जिला आपूर्ति पदाधिकारी/ जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम /सहायक गोदाम प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम/ नामित परिवहन अभिकर्त्ता ।
8	राज्य खाद्य निगम द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं दुकान पर भंडार निर्गमादेश (S.I.O) के अनुसार खाद्यान्न का डोर स्टेप डिलेवरी करना ।	जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम /सहायक गोदाम प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम/नामित परिवहन अभिकर्त्ता ।
9	जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा लाभूकों को खाद्यान्न का वितरण करना ।	जिला आपूर्ति पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी/ पणन पदाधिकारी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक/जन वितरण प्रणाली विक्रेता ।
10	खाद्यान्न उत्सव मनाया जाना ।	जिला आपूर्ति पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी/ पणन पदाधिकारी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/ आपूर्ति निरीक्षक/जन वितरण प्रणाली विक्रेता ।

3. निर्धारित समय–सीमा के अन्दर भंडार निर्गमादेश निर्गत कर डोर स्टेप डिलेवरी योजना का कार्यान्वयन का दायित्व पूर्ण रूप से जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम का होगा ।

4. वर्त्तमान माह के अंतिम सप्ताह में सभी जिलों द्वारा खाद्यान्न दिवस का आयोजन कर शेष लाभुकों अथवा वैसे लाभुकों को जिन्हें किसी कारणवश खाद्यान्न नहीं मिला हो, को खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित किया जाएगा ।

उक्त फूड कैलेन्डर के अनुसार खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण सभी सम्बद्ध पदाधिकारी एवं जन वितरण प्रणाली विक्रेता ससमय सुनिश्चित करेंगे ।

(भरत कुमार दुबे)
सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक –प्र0– 06–विविध–03/2010 1711 /खाद्य,पटना/दिनांक 03.04.17
प्रतिलिपि – सभी प्रमंडलीय आयुक्त/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, खाद्य भवन, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/महाप्रबंधक (क्षेत्र), भारतीय खाद्य निगम, पटना/ विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन, पटना/अपर जिला दंडाधिकारी आपूर्ति, पटना/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रषित ।

सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक –प्र0– 06–विविध–03/2010 1711 /खाद्य,पटना/दिनांक 03.04.17
प्रतिलिपि – माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/बिहार राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष के आप्त सचिव/सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रषित ।

सरकार के विशेष सचिव ।

D:\a YEAR-2015 a\a SEC-06-a\Food Calander.doc